

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, <u>नई दिल्ली 110 016</u> 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg <u>New Delhi 110 016</u> Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in दिनाक :12.05.2017

फा₀11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन₀ l)Vol-II

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30.03.2017के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय नागौर, जिला नागौर, राजस्थान उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों मे से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है-:

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	नागौर, जिला नागौर	Clo राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नजदीक ग्राम पंचायत
		भवन तौसर, नागौर - 341001, राजस्थान

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओ में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए। भीषी

(जी.कें.⁽श्रीवास्तव)

अपर आय्क्त (प्रशासन.)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।

2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.

.3 अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।

- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- .5 अपर आयुक्त (प्रशा/.शै.) केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त(शै.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- 7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर ।

9. कलेक्टर, जिला नागौर, राजस्थान को सूचनार्थ ।

10.अधिक्षण अभियंता केविसं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/357/2017-KVS(HQ)/Works दिनांक 08.05.2017 के संबंध में। 11 सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार , दिल्ली-92

12. केविसं (मू.) के सभी अधिकारी एवं अन्भाग।

13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।

14 निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।

15. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।

17. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, <u>नई दिल्ली 110 016</u> 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg <u>New Delhi 110 016</u>

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website:www.kvsangathan.nic.in Date: 12.05.2017

F. 11029-11/2015-KVS (Admn.-I)/Vol-II

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30.03.2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Nagaur, Distt. Nagaur, Rajasthan is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location:-

S.No.	Name of Kend Vidyalaya	iya Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Nagaur, Distt. Nagaur	C/o Govt. Girls Upper Primary School, Near Gram Panchayat Building, Tausar, Nagaur- 341001 (Rajasthan)

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(G.K. Šrivastava) Additional Commissioner (Admn.)

Distribution:-

- 1. PS to HRM-cum-Chairman, KVS.
- 2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- 3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- 4. PS to Commissioner, KVS.
- 5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
- 6. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order.
- 7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Jaipur with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of **Parliamentary Constituency** in which this school falls, for record of this office.
- 8. The Principal Secretary (Education), Govt. of Rajasthan, Jaipur.
- 9. The Collector, District Nagaur, Rajasthan for information.
- 10. The Superintending Engineer, KVS w.r.t note F.110111/357/2017-KVS(HQ)/Works dated 08.05.2017.
- 11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- 14. Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
- 16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.
- 17. Guard File.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110 016 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg <u>New Delhi 110 016</u> Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in दिनाक: 12.05.2017

फा॰11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन॰ l)Vol-ll

<u>कार्यालय आदेश</u>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30.03.2017के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय चँदेरी फ़तेहाबाद, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों मे से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है-:

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	चँदेरी फ़तेहाबाद, जिला अशोक	C/o कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास प्राथमिक विद्यालय, फ़तेहाबाद
	नगर	चँदेरी, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश- 473446

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए। भीवी/1

(जी.के. श्रीवास्तव)

अपर आयुक्त (प्रशासन.)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।

2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.

.3 अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।

- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- .5 अपर आयुक्त (प्रशा/.शै.) केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त(शै.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- 7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का .भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- 8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) मध्य प्रदेश सरकार भोपाल।
- 9. कलेक्टर, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ ।

10.अधिक्षण अभियंता केविसं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/358/2017-KVS(HQ)/Works दिनांक 05.05.2017 के संबंध में। 11 सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार , दिल्ली-92

- 12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- 13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- 14 निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- 15. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- 17. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, <u>नई दिल्ली 110 016</u> 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg <u>New Delhi 110 016</u>

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website:www.kvsangathan.nic.in Date: 12.05.2017

F. 11029-11/2015-KVS (Admn.-I)/Vol-II

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30.03.2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Chanderi Fatehabad, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location:-

S.No.	Name Vidyalaya	of	Ke	ndriya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Chanderi Ashok Nag		ıbad,		C/o Kasturba Gandhi Kanya Chhatravas Primary School Fatehabaad, Chanderi, Distt. Ashok Nagar, Madhya Pradesh- 437 446

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(G.K. Srivastava) Additional Commissioner (Admn.)

Distribution:-

- 1. PS to HRM-cum-Chairman, KVS.
- 2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- 3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- 4. PS to Commissioner, KVS.
- 5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
- 6. Joint Commissioner (Acad), KVS Hgrs with the request to issue staff sanction order.
- 7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Bhopal with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of **Parliamentary Constituency** in which this school falls, for record of this office.
- 8. The Principal Secretary (Education), Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
- 9. The Collector, District Ashok Nagar, Madhya Pradesh for information.
- 10. The Superintending Engineer, KVS w.r.t note F.110111/358/2017-KVS(HQ)/Works dated 05.05.2017.
- 11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- 14. Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
- 16. President/ General Secretary recognized KVS Staff Association.
- 17. Guard File.
